# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 73/2025 बउनवानी मोहर सिंह गुर्जर **बनाम** उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्र शिवजीलाल गुर्जर निवासी टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तह0 तलावडा
**GCMS No-2025/ 203**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | |
|---|---|---|
| **20.8.2025** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 4.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *ग्राम टोटोलाई के ख0न0 263 को लेकर कुल 5 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना* "उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।<br><br>लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2023/59 दिनांक 11.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 4.6.2025 से चाही गयी सूचना के संबंध मे उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक/आरटीआई/2025/23 दिनांक 1.7.2025 से वस्तुस्थिति से अवंगत कराया जा चुका है कि ग्राम टोटोलाई मे हुए भूमि आवंटन से संबंधित मूल पत्रावलियॉ जिला अभिलेखागार मे जमा करवायी जा चुकी है तथा दिनांक 22.6.1989 को ग्राम टोटोलाई की मूल आवंटन रिकार्ड सूची दो पृष्ठो की है जिसके लिए 4/—रू जमा करवाकर रिकार्ड सूची की नकल प्राप्त कर सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।<br><br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना के संबंध मे लोक सूचना अधिकारीं द्वारा बिन्दुवार जवाब पेश नही किया है जहॉ तक आवंटन आदेश की पत्रावलियॉ जिला अभिलेखागार में जमा होने का प्रश्न है तो ग्राम टोटोलाई मे हुए आवंटन आदेश की पत्रावलियो का रिकार्ड नम्बर एवं जमा दिनांक से अपीलान्ट को अवगत करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दु संख्या 3,4,5 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण वांछित सूचना दिया जाना आवश्यक नही है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को आवंटन आदेश की पत्रावलियॉ जिला अंभिलेखागार मे जमा करवाने का रिकार्ड नम्बर एवं जमा दिनांक से अवगत करावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Kana Ram<br>Date: 2025.10.21 15:38:09 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(कान्हा राम)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाईमाधोपुर | |

Scanned with OKEN Scanner